

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी सूर्यकान्त शर्मा (आर.ए.एस) सहायक कलक्टर, कोटपूतली

1. रामकरण पुत्र श्री ग्यारसीलाल
2. रामनिवास पुत्र श्री औमकार

समस्त जाति अहीर निवासी मोहनपुरा, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर- राजस्थान।

—वादीगण

बनाम

1. अनिषा पुत्री श्री श्योराम
2. अमीचन्द पुत्र श्री हनुमान
3. आशीष पुत्र श्री श्योराम
4. दिनेश पुत्र श्री कैलाशचंद
5. प्रदीप पुत्र श्री कैलाशचंद
6. महिपाल पुत्र श्री कैलाशचंद
- 7/1 सविता पत्नि श्री महिपाल
- 7/2 दिलसान पुत्र श्री महिपाल
- 7/3 दीक्षिता पुत्री श्री महिपाल
7. सचिन पुत्र श्री श्योराम
8. सुनिता पत्नि श्री शिवराम

समस्त जाति अहीर निवासी फतेहपुरा कलां, तहसील कोटपूतली, जिला जयपुर- राजस्थान।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, कोटपूतली।

13. श्रीमान सब रजिस्ट्रार महोदय, सब रजिस्ट्रार कार्यालय कोटपूतली जिला जयपुर।

----- प्रतिवादीगण

दावा विनिमय एवं स्थाई निषेधाज्ञा

वाद पत्र संख्या - 08/2023

यह मुकदमा आज वारते इनफिसाल कतई रुबरू व हाजरी.वकील वादी व वादीगण स्वयं  
मिनजानिव मुद्दई रुबरू की अनुपस्थिति में पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि  
आराजी हाल खसरा नम्बर 749/0.15, 750/0.14 कुल किता 2 रकबा 0.29 हैक्टेयर वाके मौजा  
फतेहपुरा कलां की सम्पूर्ण आराजी व आराजी हाल खसरा नम्बर 748/0.57 वाके मौजा फतेहपुरा कलां  
मे से 8/19 हिस्सा यानी 0.24 हैक्टेयर भूमि वाके मौजा फतेहपुरा कलां मे से वादी गण का नाम  
हटाया जाकर आराजी हाल खसरा नम्बर 749/0.15, 750/0.14 एवं कुल किता 2 रकबा 0.29 हैक्टेयर  
वाके मौजा फतेहपुरा कलां मे प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का नाम प्रतिवादी संख्या 1 अनिषा पुत्री  
श्योराम हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 2 अमीचंद पुत्र हनुमान हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 3 आशीष  
पुत्र श्योराम हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 4 दिनेश पुत्र कैलाशचंद हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 5

प्रदीप पुत्र कैलाशचंद हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 6/1 सविता पति श्री महिपाल 1/27, प्रतिवादी संख्या 6/2 दिलसान पुत्र श्री महिपाल नाबालिक जरिये संरक्षक माता 1/27, प्रतिवादी संख्या 6/3 दीक्षिता पुत्री श्री महिपाल नाबालिक जरिये संरक्षक माता 1/27, प्रतिवादी संख्या 7 सचिन पुत्र श्योराम हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 8 सुनीता पत्नी श्योराम हिस्सा 1/12, आराजी हाल खसरा नम्बर 748/0.57 वाके मौजा फतेहपुरा कलां में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का नाम प्रतिवादी संख्या 1 शनिषा पुत्री श्योराम हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 2 अशोक पुत्र हनुमान हिस्सा 1/3, प्रतिवादी संख्या 3 आशीष पुत्र श्योराम हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 4 दिनेश पुत्र कैलाशचंद हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 5 प्रदीप पुत्र कैलाशचंद हिस्सा 1/9, प्रतिवादी संख्या 6/1 सविता पति श्री महिपाल 1/27, प्रतिवादी संख्या 6/2 दिलसान पुत्र श्री महिपाल नाबालिक जरिये संरक्षक माता 1/27, प्रतिवादी संख्या 6/3 दीक्षिता पुत्री श्री महिपाल नाबालिक जरिये संरक्षक माता 1/27, 7 सचिन पुत्र श्योराम हिस्सा 1/12, प्रतिवादी संख्या 8 सुनीता पत्नी श्योराम हिस्सा 1/12, दर हिस्सा 8/19 के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जावे तथा हाराजी हाल खसरा नम्बर 808/0.88 में 1/4 हिस्सा व आराजी हाल खसरा नम्बर 808/0.88 का नाम हिस्सा 1/2-1/2 बतौर खातेदार दर्ज किया जावे यानी आराजी हाल खसरा नम्बर 808/0.88 वाके मौजा फतेहपुरा कलां में प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का नाम हटाया जाकर वादीगण आराजी हाल खसरा नम्बर 806/0.37, 844/0.28 में 1/2 हिस्सा वाके मौजा फतेहपुरा कलां तहसील कोटपूतली में प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/8 व वादी संख्या 2 हिस्सा 1/8 एवं वादी संख्या 1 हिस्सा 1/4 व वादी संख्या 2 हिस्सा 1/4 का नाम बतौर खातेदार घोषित किया जाता है।

निज **सहायक क्लर्क** (मुबलिया) वाबत खर्चा इस मुकदमे के मध्य सूद बशरह फीसदी सालाना आज तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करे।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख मजमेआम को जारी की गई।

मुद्दे	रुपये	पैसे	मुदायलत	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालतनाम			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना बकील		
महन्ताना बकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजाल		
मीजान					

नोट:- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिक्री के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।